सं.ए-12023/1/2018-प्रशा.IV

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001
दिनांकः 12 अप्रैल, 2018

सेवा में,

1. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार।
2. सचिव, भारत सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
3. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।
4. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण।
5. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
6. सचिव, सीसीआई
7. सचिव, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
8. सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई), सदर स्ट्रीट, कोलकाता
9. सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषयः राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में तकनीकी सदस्य के 12 पदों को भरना - आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए

महोदय,

मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के तकनीकी सदस्यों के 12 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन (https://apptrbmembermca.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है) आमंत्रित करने का निदेश हुआ हैः-

2. चयनित उम्मीदवारों से पहले से गठित एनसीएलटी खंडपीठों या भविष्य में देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध तरीके से गठित किए जाने वाले खंडपीठों में कार्य करना अपेक्षित है और वे इस नियुक्ति में रिक्ति/कार्य की अनिवार्यता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरण के लिए दायी होंगे।

3. **अर्हताएं** - इन पदों की अर्हताएं कंपनी अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(3) के उपबंधों के अनुसार है। तद्नुसार एक व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह,

(क) भारतीय कारपोरेट विधि सेवा अथवा भारतीय विधि सेवा में कम से कम पंद्रह वर्ष तक सदस्य रहा हो और भारत सरकार में सचिव अथवा अपर सचिव के समतुल्य पद पर रहा हो; अथवा

(ख) कम से कम पंद्रह वर्षों तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हो अथवा रहा हो; अथवा

(ग) कम से कम पंद्रह वर्षों तक लागत लेखाकार के रूप में कार्यरत हो अथवा रहा हो; अथवा

(घ) कम से कम पंद्रह वर्षों तक कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत हो अथवा रहा हो; अथवा

(ङ) प्रमाणित योग्यता, सत्यनिष्ठा रखता हो तथा उसे औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश, लेखांकन में विशेष ज्ञान हो और कम से कम पंद्रह वर्ष को व्यवसायिक अनुभव हो; अथवा

(च) वह न्यूनतम पांच वर्षों से/पांच वर्षों तक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अंतर्गत गठित किसी श्रम न्ययालय, अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी हो/रहा हो।

4. कोई व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र तभी होगा जबकि वह आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक **50 (पचास) वर्ष की आयु [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)] पूरी कर चुका हो।**

5. **नियुक्ति की शर्तें** - सदस्य 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-15 और यथाअनुमेय भत्ते प्राप्त करेगा। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्तें और सेवा की शर्तें और निबंधन) नियम, 2015 द्वारा वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित की जाएंगी। नियमों की प्रति कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है।

6. प्रत्येक सदस्य अपना कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए पद पर बना रहेगा, परंतु वह पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। तथापि नियुक्ति का कार्यकाल 65 वर्ष की अधिकतम आयुसीमा के अधीन है।

7. चयनित सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व चिक्तिसा योग्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

8. न्यायालय/सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उचित माध्यम द्वारा अग्रेषित किए जाएं। अग्रेषण प्राधिकारी को यह भी प्रमाणित (ऑनलाइन आवेदन के **अनुलग्नक-I** में दिए गए प्ररूप में) करना होगा कि आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों को रिकार्ड से सत्यापित किया गया है और इन्हें सही पाया गया है और अधिकारी के विरूद्ध किसी प्रकार के अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित हैं और न ही अपेक्षित है एवं पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर किसी प्रकार की छोटी/बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है। अग्रेषण प्राधिकारी को आवेदक का पिछले पांच वर्षों का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर भी संलग्न करने होंगे। यदि चयनित व्यक्ति पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह अपना कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, में अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक ग्रहणाधिकार रख सकता है।

9. इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 15 अप्रैल, 2018 से https://apptrbmembermca.gov.in पोर्टल देखने की सलाह दी जाती हैं। आवेदनों को ऑनलाइन दायर करने के लिए विस्तृत निर्देश पोर्टल (सूचना और निर्देश शीर्षक के अधीन) पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30 मई, 2018, 05.30 अपराह्न है।

10. **ऑनलाइन पोर्टल में विधिवत रूप और उचित माध्यम द्वारा, जो भी लागू हो, अंतिम रूप से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट 14 जून, 2018 तक श्री अमर सिंह मीणा, निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कमरा संख्या 530, ए विंग, 5वां तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को प्राप्त हो जाना चाहिए।**

भवदीय,

(रियाजुल हक)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष संख्याः 23381349

प्रतिलिपिः

1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के मुख्यालय के सभी अधिकारी।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीओपीटी को डीओपीटी वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
3. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ, कारपोरेट कार्य मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

<u>अनुलग्नक ।</u>

(नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषणकर्ता अधिकारी द्‌वारा उपलब्ध कराया जाने वाला प्रमाणपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... द्‌वारा दिए गए विवरण सही हैं और वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

(i) श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनामत्क मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।

(iii) उनकी सीआर/एपीएआर डोजियर मूल रूप में संलग्न है पिछले पांच वर्षों के एसीआर/एपीएआर की प्रतियां अवर सचिव, भारत सरकार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्‌वारा अनुप्रमाणित है, सलंग्न की गई है।

(iv) "पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।"

(v) पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर लगाए गए बड़ी/छोटी शास्तियों की सूची संलग्न की गई है।

हस्ताक्षर ....
नाम और पदनाम ....
दूरभाष संख्या ....
कार्यालय मुहर

स्थानः
तारीखः

संलग्नकों की सूचीः

1.
2.
3.
4.
5.

(जो लागू न हो उसे काट दें)